न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 92/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 10 फरवरी 2025 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है।

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया प्रकरण में कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 182 दिनांक 21/02/2024 से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 183 दिनांक 28/02/2024 द्वारा संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन, कनिष्ट यंत्री मध्यप्रदेश वि.वि कम्पनी जयसिंहपुरा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर, हल्का पटवारी ग्राम खजुरी चौपड़ा एवं संरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उमरपुर को पत्र जारी कर अनापत्ति चाही गई। कार्यालय सहायक यंत्री म. प्र.प.क्षे. वि.वि. कंपनी लिमिटेड जयसिंहपुरा द्वारा पत्र क्रमांक /क. य/जयसिंहपुरा/कार्य/ 2023-24/33 दिनांक 12/04/2024 से अनापत्ति दी गई है। ग्राम पंचायत उमरपुर, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय उज्जैन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर से प्रकरण में प्रतिवेदन दिनांक तक कोई अभिमत प्रस्तुत नहीं किया गया। वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल शाजापुर मध्यप्रदेश के द्वारा पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2023/2360 शाजापुर दिनांक 06/06/2023 के द्वारा आवेदित सर्वे नंबरो को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना लेख किया है। हल्का पटवारी आवेदित भूमि सर्वे नंबर 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर मिसल बंदोबस्त अनुसार गैर मुमकिन एवं वर्तमान खसरा अभिलेख में गैर मुमकिन पहाड मद दर्ज अभिलेख है। वर्तमान मौका अनुसार आवेदित सर्वे नंबर में पंचायत द्वारा छोटी-छोटी 11 तलाईयो का निमार्ण किया गया है। जिनमें बरसात में पानी रहता है। शेष मौसम में भूमि अनुपयोगी रहता है, उक्त भूमि से किसी प्रकार का होईटेंशन लाईन, श्मशान, कब्रस्तान आदि नही होना लेख किया है।पटवारी प्रतिवेदन संलग्न मिसल बंदोबस्त की नकल एवं वर्तमान खसरा अभिलेख अनुसार आवेदित सर्वे नंबर 568 रकबा 46.080 में से 33.470 हेक्टेयर मिसल बंदोबस्त एवं वर्तमान अभिलेख अनुसार गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि है। जिसमे पंचायत द्वारा छोटी-छोटी तलाईयो का निमार्ण किया गया है। जो वर्षाकाल के अतिरिक्त अन्य मौसम में अनुपयोगी है। भूमि के आवंटन से ग्राम के 2 प्रतिशत चरनोई हेतु आरक्षित रकबा प्रभावित नहीं होता है। अतः आवंटन किया जाना उचित है। प्रकरण में आवंटन हेतु प्रस्तावित रकबे का ग्राम खजुरी चौपड़ा का कलेक्टर गाईड लाइन वर्ष 2024-25 के अनुसार सिंचित प्रति हेक्टेयर का मूल्य 12,00,000/- रूपये के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6- 101/2019/सात 3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि मान से आवंटन हेतु प्रस्तावित रकबा 33.470 हेक्टेयर भूमि के मूल्य का निर्धारण 6,42,62,400/- (छः करोड़, बयालिस लाख बासठ हजार चार सौ रूपये मात्र) होता है। नायब तहसीलदार झोंटा के द्वारा ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर आवेदक संस्था के आवेदन पर वन विभाग को वैकल्पिक

वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 10.02.2025 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 10.02.2025 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 / सात-3 भोपाल दिनांक **05.01.2021** के अनुसार ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 6,42,62,400/- (छः करोड़, बयालिस लाख बासठ हजार चार सौ रूपये मात्र)जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

5/ नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

10/2/25

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 92/अ-20(3)/2023-24

क्रमांक/रीडर/2025/ 88 आगर मालवा, दिनांक 10/02/2025

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें।

10/2/25

कलेक्टर

जिला आगर मालवा म.प्र.

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर ,जिला आगर –मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2025/ 100 आगर-मालवा, दिनांक 13 /2/2025

प्रति,

नायब तहसीलदार झोंटा
तहसील बडौद

विषयः- आदेशानुसार निर्धारित राशि जमा कराये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा के प्रकरण क्रमांक 92/अ-20(3)/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 से ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद की भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से रकबा 33.47 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को धिरौली कॉल ब्लॉक में प्रभावित वन भूमि के बदले आवंटित की गयी है।

उपरोक्त आदेश में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ /2019/101-6सात 3-दिनांक 05.01.2021के अनुसार ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद की भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से रकबा 33.47 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मुल्य के 1.6 गुणा सिचिंत कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारिण 6,42,62,400/- (अक्षरी छह करोड बयालिस लाख बासठ हजार चार सौ रूपये) जमा कराई जानी है।

उपरोक्त राशि एम पी ट्रेजरी पोर्टल के हेड क्रमांक 0029-00-800-0017- Other receipts (premium from diversion land) में प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसौर्सेस प्राइवेट लिमिटेड से जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत उपरोक्त आदेशानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2025/ 101 आगर-मालवा, दिनांक 13 /2/2025

प्रतिलिपि

प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसौर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:खजुरी चौपड़ा			पटवारी हल्का:उमरपुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612323652 81PQH4D8URB8H0	568/2 (S)		33.4700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0092/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 10/02/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

specimen copy